<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

27.11.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने 24.11.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मिर्जापुर, अहमदाबाद के समक्ष मनसुखभाई धनजीभाई सागठिया और 2 अन्य के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।

ईडी ने एसीबी, राजकोट द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है। राजकोट नगर निगम में नगर नियोजन अधिकारी के पद पर तैनात लोक सेवक मनसुखभाई धनजीभाई सागठिया द्वारा 01.04.2012 से 31.05.2024 तक की जाँच अवधि के दौरान 24.31 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने के आरोप हैं।

ईडी की जाँच से पता चला है कि मनसुखभाई धनजीभाई सागठिया ने 27.02.2015 से 27.06.2022 की अवधि के दौरान अपने बेटे केयूर मनसुखभाई सागठिया और अपनी पत्नी श्रीमती भावनाबेन मनसुखभाई सागठिया के नाम पर राजकोट प्रधान डाकघर, राजकोट में कई आवर्ती जमा खाते खोले थे। उक्त आवर्ती जमा खातों के विवरणों की जाँच से पता चला कि इन खातों में नियमित जमा राशि नकद में की जाती थी। उक्त आवर्ती जमा खातों को बंद करने से प्राप्त राशि का उपयोग बाद में अचल संपत्तियों की खरीद में किया गया था।

जांच के दौरान, यह पता चला कि मनसुखभाई धनजीभाई सागठिया ने अपराध की आय (पीओसी) को कई अचल/चल संपत्तियों में निवेश किया और उनके नाम और उनकी पत्नी और उनके बेटे के नाम पर कई बैंक खातों का इस्तेमाल पीओसी के शोधन के लिए किया गया।

अब तक की गई जांच के दौरान, चल संपत्ति के रूप में **21.61 करोड़ रुपये** की पीओसी, जैसे नकदी, सोना, हीरा, चांदी के आभूषण, विभिन्न देशों के करेंसी नोट, महंगी घड़ियां और अचल संपत्तियां 29.04.2025 को पीएमएलए की धारा 5 के तहत जब्त की गईं।